



2026:CGHC:3444

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध दण्डिक प्रकरण क्रमांक-121/2026

- ◆ खिलावन वर्मा पिता-प्रीतम वर्मा, उम्र-लगभग 25 वर्ष, निवासी-बिच्छीटोला, पुलिस थाना-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

-----आवेदक/अभियुक्त

विरुद्ध

- ◆ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-बोरतालाब, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादी/राज्य

आवेदक/अभियुक्त द्वारा : श्री बी०पी० सिंह, अधिवक्ता सहित श्री रोशन सिंह लाम्बा, अधिवक्ता ।

राज्य/उत्तरवादी द्वारा : श्री अनीश तिवारी, उप शासकीय अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! आदेश पीठ पर पारित !!

20/01/2026

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत इस आवेदन में पुलिस थाना-बोरतालाब, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के अपराध क्रमांक-27/2025, अंतर्गत धारा 103(1), 238, 3(5) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023



के प्रकरण में जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसका जमानत आवेदन विचारण न्यायालय—अपर सत्र न्यायाधीश, डोंगरगढ़, जिला—राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक—21/2025 में आदेश दिनांक 16/09/2025 के माध्यम से निरस्त किया जा चुका है।

2. अभियोजन मामला, संक्षेप में, इस आशय का है कि आवेदक/अभियुक्त खिलावन वर्मा के भतीजे जितेन्द्र वर्मा की वर्ष 2016 में आलोक उर्फ मिन्दू द्वारा हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में आलोक उर्फ मिन्दू लगभग दो वर्ष पश्चात् जेल से रिहा होकर बाहर आ गया था तथा इसके पश्चात वह आवेदक/अभियुक्त खिलावन वर्मा को निरंतर चिढ़ाता एवं प्रताड़ित करता था। इसी कारणवश, आवेदक/अभियुक्त खिलावन वर्मा ने सह-अभियुक्त अजहर उर्फ विककी एवं इकबाल खान के साथ मिलकर आलोक उर्फ मिन्दू की हत्या करने की योजना तैयार की। योजना के अनुसार दिनांक 05/06/2025 को बहाने से आलोक उर्फ मिन्दू तथा उसके साथी सूरज कुमार सेन (मृतक) को कार में बैठाकर ले गये, जहाँ हाथ-मुक्के, पत्थर, लोहे के पाइप, स्टील के चुड़े आदि से गंभीर रूप से मारपीट की गई, जिसके परिणामस्वरूप सूरज कुमार सेन की मृत्यु हो गई तथा उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। पश्चात् में अज्ञात शव प्राप्त होने पर पुलिस थाना—बोरतालाब, जिला—राजनांदगांव में दिनांक 06/06/2025 को मर्ग कायम की गई। शव का परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त का मेमोरण्डम कथन तैयार किया गया, जिसकी निशानदेही पर कथित कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, हाथ का चुड़ा, लोहे का पाइप तथा कार से अन्य रक्तरंजित वस्तुएँ बरामद की गईं। आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।



3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियोजन का संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जिसमें अभियुक्त के मेमोरण्डम कथन के आधार पर कुछ जब्तियाँ की गई हैं, किंतु रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से उक्त जब्तियों का आवेदक/अभियुक्त के कथित अपराध से कोई प्रत्यक्ष अथवा सीधा संबंध स्थापित नहीं होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 11/06/2025 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल 25 साक्षियों में से अब तक केवल 8 साक्षियों का परीक्षण किया जा सका है। विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अतः उसे जमानत पर छोड़ा जाये।
4. उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। घटना में आवेदक/अभियुक्त की मुख्य भूमिका रही है तथा उसके मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त वाहन एवं अन्य आपराधिक सामग्री की बरामदगी की गई है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त पर एक ही दिनांक की एक अन्य हत्या किए जाने का आरोप भी एक पृथक प्रकरण लंबित है, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्य तथा समाज पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः, आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया जाये।
5. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया तथा अभिलेख व केस डायरी का परिशीलन किया गया।



6. अभिलेख के समग्र परिशीलन एवं पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध कथित घटना दिनांक 05/06/2025 के संबंध में एक अन्य व्यक्ति की भी हत्या किए जाने का आरोप, एक पृथक प्रकरण में है। इस प्रकार, संपूर्ण अभिलेखगत सामग्री एवं प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक का मामला जमानत प्रदान किए जाने योग्य नहीं पाया जाता।
7. अतः आवेदक/अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।
8. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए।

सही/-
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन